BCC BULLETIN
THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
Vol. XXXXIII | 27th June 2012 | No. 8

वाणिज्य कर आयुक्त के साथ चैम्बर की बैठक

• राज्य में लागू होगी नयी व्यवस्था ''सुविधा'' • सभी पफार्म होंगे ऑनलाईन
• नहीं जाना पड़ेगा व्यवसायियों को वाणिज्य-कर कार्यालय – वाणिज्य-कर आयुक्त

विभागीय वेबसाइट "संबंध" के संबंध में जानकारी देते वाणिज्य-कर आयुक्त श्री सुधीर कुमार। उनकी दाँयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह तथा बाँयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री जी० के० खेतड़ीवाल, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में दिनांक 6 जून, 2012 को वाणिज्य-कर विभाग के प्रधान सचिव-सह-आयुक्त श्री सुधीर कुमार के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की। इस अवसर पर वाणिज्य-कर विभाग के कई अधिकारी भी उपस्थित थे।

अपने स्वागत सम्बोधन में चैम्बर अध्यक्ष ने वाणिज्य-कर आयुक्त के समक्ष वाणिज्य-कर सम्बन्धित कई समस्याओं को रखा। साथ ही पावर प्रेजेंटेशन के द्वारा ''सुविधा'' की जानकारी व्यवसायियों को देने के लिए आयुक्त का धन्यवाद किया।

सदस्यों को सम्बोधित करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त ने कहा कि 1948 में वित वाणिज्य-कर विभाग की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक व्यवसायियों को विभाग का लगातार चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें छूट मिलने जा रही है। अब व्यवसायियों को कोई फार्म लेने या सामान्य कार्य के लिए वाणिज्य-कर विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे अपने दफ्तर में बैठकर ऑन लाईन सारा कार्य कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें वाणिज्य-कर विभाग के वेबसाइट के ''सुविधा'' में जाना पड़ेगा। सुविधा में उन्हें सारे फार्म मिल जायेंगे एवं वे वहीं पर फार्म भरकर टोकन नम्बर भी प्राप्त कर लेंगे। इस व्यवस्था से कर वंचना पर भी अंकुश लगेगी। सभी व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस से पहले मिल जाएगी। इससे पूर्व जुलाई महीने में ऑन लाइन फार्म मिलना शुरू हो जाएगा। इसके पहले सभी औपचारिकाताएं पूरी कर ली गई हैं, सिर्फ मंत्रीमंडल की स्वीकृति बाकी है। उन्होंने व्यवसायियों से ''सुविधा'' पर अपने विचार देने का अनुरोध किया ताकि उसमें सुधार कर लॉच किया जा सके। विभाग व्यवसायियों की हर मदद को वचनबद्ध है। रोड परमिट के लिए आपको किसी बिचौलिए का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और न ही फार्म छपाने की जरूरत होगी।

उन्होंने आगे कहा कि आप अपने कार्यालय में बैठकर कम्प्यूटर पर किसी फार्म या काम के लिए वेबसाइट में जाकर ''सुविधा'' पर क्लिक करें। वहां अपना टिन नम्बर डालें एवं पासवर्ड स्वयं बनायें। अपनी जरूरत के हिसाब से फार्म भरें। रोड परमिट के लिए फार्म भरने के बाद आपको सुविधा नम्बर या यूनिक नम्बर या टोकन मिल जायेगा। यह काम व्यवसायी या ट्रांसपोर्टर खुद कर सकते हैं। टोकन नम्बर मिलने के बाद उसे माल लाने वाले ट्रक ड्राइवर को एमएमएस कर दें। राज्य के इन्ट्री प्वायंट पर अधिकारी को ड्राइवर जब टोकन नम्बर बतायेगा तो उस नम्बर से अधिकारी माल के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। जांच के बाद आपके ट्रक को जाने देंगे। इस काम में महज 10 से 25 सेकेंड लगेंगे।

उन्होंने बताया कि जो माल राज्य के बाहर जाना है, वह ट्रक पहले लेन से तथा किसी व्यवसायी के माल से भरा ट्रक दूसरे लेन से जाएं। प्रक्रिया अपना कर उसे जल्द भेज दिया जायगा लेकिन जिस ट्रक में कई व्यवसायियों का माल है और उसका विभिन्न टोकन नम्बर है तो वह तीसरे लेन से जाएं। उसे चेक करने में 10 मिनट का समय लग सकता है। इस तरह रोड परमिट आसानी से लिया जा सकता है और माल भी सही समय पर पहुँचाया जा सकता है। आयुक्त ने बताया कि जिस व्यवसायी का माल रास्ते में है वे फार्म सी के लिए अंचलाधिकारी से सम्पर्क करें और अपनी परेशानी बताकर फार्म सी हासिल कर लें। टिन नम्बर व पासवर्ड डालने के बाद सी फार्म आपको तब तक नहीं मिलेगा, जबतक आपने सीएसटी रिर्टन जमा नहीं किया है और आपका टैक्स बकाया है। टोकन नम्बर मिलने के बाद आपके ट्रक को सौ कि०मी० की दूरी तीन दिन में, एक हजार किलोमीटर को दूरी सात दिन में तथा उससे अधिक की दूरी 12 दिनों में तय करनी है। उस बीच ट्रक निकास द्वार पर नहीं पहुँच पाता है तो माना जायगा कि व्यवसायी या ट्रांसपोर्टर ने इस माल को अपने पास रख लिया है और उस माल के लिए टैक्स देने की जवाबदेही उनकी ही होगी। अब किसी तरह की परेशानी आती है तो अपना विचार दें। अधिक जानकारी के लिए विभागीय हेल्प डेस्क 18003456102 पर सम्पर्क करें या email: vattcs.helpdesk @gmail.com पर मेल करें। विशेष परिस्थिति में हमसे भी मिल सकते हैं।

उक्त अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं वैट उप समिति के चेयरमैन श्री डी०पी० लोहिया, श्री डी० बी० गुप्ता, अधिवक्ता सहित कई व्यवसायियों ने अपने सुझाव दिये। अपनी शंकाओं के समाधान आयुक्त महोदय से जानने चाहे। आयुक्त ने उन शंकाओं के समाधान की पूरी कोशिश की। इस अवसर पर पावर प्रेजेंटेशन द्वारा ऑन लाइन प्रक्रिया की जानकारी भी दी गयी।

बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री पी० के० अग्रवाल, श्री डी० पी० लोहिया एवं श्री मोती लाल खेतान सहित राज्य भर से व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधि, सदस्यगण तथा प्रेस एवं मीडिया के बन्धु काफी संख्या में मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल ने किया।

अब बीमारू नहीं रहा बिहार

उम्मीदों से लबरेज विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है राज्य

राज्य बीमारू होने की छवि से तेजी से उबर रहा है। अब बिहार का नाम विकसित राज्यों में लिया जाने लगा है। स्थिति यह है कि राज्य के आम नागरिकों के साथ-साथ यहां के उद्यमी उत्साहित हैं। लाजिमी भी है क्योंकि राज्य में इतना बड़ा उपभोक्ता बाजार है, उपजाऊ जमीन है, श्रम शक्ति है, सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति है, राजनैतिक स्थिरता के साथ कुशल नेतृत्व है। इन्हीं वजहों से बिहार अब निवेशकों को आकर्षित करने लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले दिनों में यही स्थिति बनी रही तो बाहर के निवेशकों के लिए इसे एक पसंदीदा राज्य के रूप में गिना जाएगा। इसकी शुरूआत कई क्षेत्रों में निवेश से देखी जा सकती है।

बिहार में निवेश की सबसे बड़ी समस्या बिजली संकट रही है। इस समस्या के हल की दिशा में राज्य सरकार ने सकारात्क पहल कर दी है। बिजली क्षेत्र में जस इन्फ्रास्ट्रक्चर, नालंदा पावर, आइपीसीएल और अडाणी ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने निवेश प्रक्रिया शुरू की है। डेयरी क्षेत्र में नेस्ले, सीमेंट में बिरला अल्ट्रा टेक, श्री सीमेंट और बांगर ग्रुप ऑफ कंपनी बिहार में अपनी इकाई स्थापित करने की दिशा में एडवांस स्टेज में आ गया है। चावल प्रसंस्करण के लिए 100 से अधिक चावल मिलें बिहार में स्थापित की जा रही हैं।

बेवरेजेज और डिस्टिलरी क्षेत्र में यूबी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों को भी बियाड़ा से जमीन का आवंटन हो चुका है। साथ ही राज्य में निवेश के लगभग 150 प्रस्ताव स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में जूट पार्क, आइटी पार्क, अपारेल पार्क और फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। यह सच है कि राज्य में अभी बड़े निवेशक इस ओर मुखातिब नहीं हुए हैं, लेकिन मझोले ओर लघु उद्योगों के लिए निवेश लगातार किया जा रहा है। बिहार की भौगोलिक स्थिति, समुद्री बंदरगाहों का अभाव और वर्तमान खनिज संपदा की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि देश के बड़े उद्यमी इस राज्य में तभी अपना समुचित निवेश करना चाहेंगे जब राज्य को भारत सरकार से विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज मिले। जैसा कि जानते है कि हिंदी भाषी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से संपन्न हैं, जिनका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की बराबर उपेक्षा की गई है। जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बागड़ोर संभाली थी, उस समय राज्य में पूंजी निवेश की संभावनाएं लगभग क्षीण थी। लेकिन 2005-06 में राज्य का कुल वास्तविक खर्च 22,568 करोड़ रु. था जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीन गुना वृद्धि के साथ 65,325 करोड़ रु. हो गया है। इससे पता चलता है कि राज्य में आधारभूत संरचना सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार ने अच्छे से खर्च किया है। राज्य में वैट कानूनों को पारदर्शी और वैट दरों को तर्कसंगत बनाया गया जिससे सरकार के राजस्व में आशतीत वृद्धि हुई। सरकार का वैट राजस्व 2005-06 में जहां मात्र 2,200 करोड़ रु. था वह 2010-11 में बढ़कर 7,000 करोड़ रु. हो गया है।

सरकार ने जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 लागू की है वह पूरे देश में अद्वितीय है। इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष बल देते हुए खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू करने के साथ-साथ पृथक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय का गठन किया गया है। साथ ही 'विजन 2015' परियोजना के माध्यम से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समुचित और त्वरित विकास का कार्य किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार कानून के सफल क्रियान्वयन के पश्चात राज्य में गत वर्ष राइट टू सर्विस ऐक्ट लागू किया गया है ताकि सरकारी कार्यालयों में जनता का काम समयबद्ध और सहज ढंग से हो सके। वाणिज्यिक बैंको का नकारात्क रवैया भी निवेशकों को बाँधित करने का प्रमुख कारण रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री से वाणिज्यक बैंकों को मिल रही हिदायतों से भी निवेशकों की राह आसान हो रही है। निस्संदेह बिहार का अच्छा माहौल बिहारवासियों को सुकून दे रहा है बल्कि निवेशकों के लिए बेहतर जमीन भी तैयार कर रहा है, जो आने वाले दिनों में राज्य के विकास का बड़ा कारक बनेगा।

– ओ० पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : इंडिया टूडे, 13.06.2012)

मैं बिहार की संतान हूँ

बिहार का दौरा करते हुए मैंने युवकों व बच्चों की एक सभा को संबोधित किया। उनकी ऊर्जा, उत्साह व आकांक्षा को देख कर मैंने एक कविता लिखी, जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं-

मैं बिहार की संतान हूँ
मेरा जन्म बिहार में हुआ,
मैं रहता हूँ, मैं उस जमीं पर पांव रख चलता हूँ,
जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
मैं उस पवित्र जमीं पर पढ़ता-लिखता हूँ, जहाँ
भगवान महावीर ने उपदेश दिये।
मैं उस धन्य जमीं पर पला-बढ़ा, जहां गुरु गोविंद सिंह
ने बार-बार कदम रखे।
मैं पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा, उस जमी पर, जहाँ महान
खगोलविद आर्यभट ने पृथ्वी की कक्षा की खोज की,
सूर्य की कक्षा व ग्रहों-तारों के रहस्य खोले।
गंगा नदी मुस्कराती है,
बिहार की उर्वर भूमि मेरा स्वागत करती है
कड़ी मेहनत के लिए।
ऐसी सुंदर भूमि में, ईश्वर मेरे साथ है।
मैं काम करूँगा, काम करूँगा और सफल होऊँगा।

(साभार : प्रभात खबर, 16.06.2012)

ए०पी०जे० अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति

इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी अधिसूचना वैट के मूल सिद्धांत के विपरीत – चैम्बर

दिनांक 21 जून 2012 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि मंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी से उनके कार्यालय कक्ष में मिला । इस बैठक में वाणिज्य-कर आयुक्त श्री सुधीर कुमार के साथ-साथ वाणिज्य-कर विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे । चैम्बर की ओर से अध्यक्ष के साथ-साथ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं श्री डी० पी० लोहिया तथा महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका ने बैठक में भाग लिया ।

बैठक के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने बताया कि बैठक का मुख्य मुद्दा बिहार वैट एक्ट 2005 मेंअधिसूचना संख्या 293 दिनांक 31.03.2012 द्वारा किए गए संशोधन पर विचार-विमर्श करना था । इस नये संशोधन के अनुसार व्यवसायियों द्वारा पूर्व के वित्तीय वर्ष में Input Tax Credit के रूप में चुकता किए गए वैट का सामंजन अगले वित्तीय वर्ष में नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा करीब एक साल बाद संबंधित व्यवसायी को उसके द्वारा भुगतान किए गए उक्त वैट के Refund किए जाने का प्रावधान किया गया है ।

उन्होंने कहा कि उक्त अधिसूचना वैट के मूल सिद्धांत के बिलकुल विपरीत है । इस अधिसूचना के फलस्वरूप व्यवसायी एवं उद्यमियों द्वारा सरकार के खजाने में पूर्व के वित वर्ष में जमा किये गये वैट का Input tax credit का सामंजन अगले वर्ष में करने पर रोक लगा दी गयी तथा करीब एक वर्ष बाद इसके Refund का प्रावधान किया गया जो कि कदापि तर्क संगत एवं न्याय संगत नहीं है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि देश के अधिकांश राज्यों में इस तरह का अतार्किक कानून नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि चैम्बर ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस ज्वलंत समस्या की ओर आकृष्ट कराया था और उन्होंने कृपापूर्वक इस विसंगति का निराकरण अविलम्ब कराने का आश्वासन दिया था । कल की बैठक इसी सिलसिले की एक कड़ी थी ।

चैम्बर अधयक्ष ने सूचित किया कि चैम्बर प्रतिनिधि मंडल ने उक्त अधिसूचना से उत्पन्न निम्नांकित समस्याओं की ओर माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया :-

• इस प्रावधान के कारण व्यवसायी अपने परिसर में कम से कम भंडार रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनकी पूंजी ब्लॉक नहीं हो । इसके कारण उनके उद्योग-धंधे पर तो असर पड़ेगा ही, सरकार को राजस्व की भी हानि होगी ।

• वैट एक्ट 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग को व्यवसायियों एवं उद्यमियों के द्वारा दायर किए गए रिटर्न की संवीक्षा एवं अंकेक्षण करने का अधिकार है । प्राय: सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरीफॉरवर्ड करने वाले व्यवसायियों की संवीक्षा एवं अंकेक्षण अवश्य ही की जाती है ।

• इस प्रावधान के संबंध में चैम्बर ने विभिन्न राज्यों में लागू वैट कानून का अध्ययन किया और पाया कि देश के कई राज्यों में वित्तीय वर्ष के अन्त में बचे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का नये वित्तीय वर्ष में कैरीफॉरवर्ड करने का कानून है । पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, असम, गुजरात, दिल्ली, गोवा, सिक्कम, हिमाचलप्रदेश, पंजाब एवं कर्नाटका में कम से कम 2 वर्ष तक जिस वित्तीय वर्ष का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, का सामंजन किया जाता है, उसके बाद कर वापसी (Refund) का प्रावधान है ।

उन्होंने आगे कहा कि यह सर्वविदित है कि वाणिज्य-कर विभाग से रिफंड लेना व्यवसायी के लिए लगभग नामुमकिन सा काम है । साथ ही अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार उक्त रिफंड को लेने में कम-से-कम एक वर्ष का समय लगना है जिसके फलस्वरूप यदि विभाग द्वारा रिफंड दे भी दिया जाता है तो एक वर्ष तक व्यवसायी तथा उद्यमियों की अच्छी खासी पूंजी सरकार के यहाँ अन्यथा पड़ी रहेगी । इस तरह के अन्यायपूर्ण कानून से राज्य के उद्यमी और व्यवसायी काफी दुखी हैं तथा इस अधिसूचना का कुप्रभाव राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति पर निश्चित रूप से पड़ेगा ।

बैठक में वाणिज्य-कर विभाग द्वारा यह आशंका व्यक्त किया जाना कि वैट के अन्तर्गत कर अपवंचना की गुंजाइश केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट में ही बनती है, के आलोक में बैठक में यह सहमति बनी कि संभावित कर अपवंचना को रोकने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के कैरीफॉरवर्ड पर रोक लगाने की जगह ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि वाणिज्य-कर विभाग इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग के सत्यापन हेतु एक निर्धारित सीमा से अधिक राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले व्यवसायी का एसेसमेंट करके उस व्यवसायी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का सत्यापन कर लिया जाए तथा एसेसमेंट के बाद उक्त व्यवसायी की संवीक्षा एवं ऑडिट नहीं हो क्योंकि एसेसमेंट के पश्चात इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

चैम्बर अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री, बिहार तथा माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री को इस समस्या के प्रति संवेदनशीलता एवं सकारात्मक सोच के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हुए आशा व्यक्त की कि इस ज्वलंत समस्या का न्यायोचित समाधान सरकार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा ।

गुटखा पर प्रतिबंध स्वास्थ्य के हित में लिया गया निर्णय

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निकोटिन युक्त गुटखा एवं पान मसाला के बिहार में उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर एक वर्ष के लिए लगाए गए प्रतिबंध का स्वागत किया है। अध्यक्ष ओपी साह ने कहा कि गुटका, पान मसाला इत्यादि जिनमें निकोटिन मिला होता है। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इन सामग्रियों का राज्य में उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर रोक लगाना लोक स्वास्थ्य के हित में लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि वैसे व्यवसायी जिनके पास उक्त सामाग्रियों का भंडार 30 मई को था उनके समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 को लागू करने के लिए एक छूट अवधि की व्यवस्था करे जिससे कि व्यवसायी अपना भंडार निकाल सके तथा कानून का पालन कर सके।

(साभार : हिन्दुस्तान 8.6.2012)

सिगरेट-जर्दा महंगा, झाड़ू-मेहंदी मखाना सस्ता

राज्य सरकार ने बीड़ी को छोड़ तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद पर कर की दरों में वृद्धि का निर्णय किया है। 13.5 फीसद के बदले 20 फीसद की दर से इस पर वैट की वसूली होगी। वहीं झाड़ू, काजल, मेहंदी, सेवई, सूखा सिंघाड़ा, सिंघाड़े का आटा एवं रामदाना को करमुक्त कर दिया गया है। इस पर 13.5 फीसद वैट की वसूली हो रही थी। मखाना को भी करमुक्त कर दिया गया है। मखाना पर 4 प्रतिशत वैट की वसूली होती थी।

(साभार : दैनिक जागरण 26.6.2012)

नोट : संबंधित अधिसूचना चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है।

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

अन्तर्राजीय व्यापार से जुड़े परिवहन के माध्यम से व्यापार करने वाले व्यवसायियों के लिए एक सरल एवं सुखद अनुभव

सुविधा

(1) व्यवसायी विभागीय वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in खोलें (2) अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालें (3) होमपेज पर **सुविधा** को क्लीक करें (4) परिवहन हेतु माल का विवरण भरें (5) **Submit** बटन पर क्लीक करें और स्वत: कम्प्यूटरजनित सुविधा संख्या को प्राप्त करें (6) माल के परिवहन के क्रम में इस सुविधा संख्या को प्रस्तुत करें।

सुविधा योजना के फायदे : • चेकपोस्ट पर लाईन में लगने से छुटकारा • पहले से डाटा स्टोर होने के कारण समय की बचत • उसी डाटा से काम होगा सरल।

अधिक जानकारी के लिए www.biharcommercialtax.gov.in पर लॉग ऑन करें या विभागीय हेल्पडेस्क 1800 3 456 102 पर सम्पर्क करें या e-mail : vattcs.helpdesk@gmail.com पर मेल करें।

(साभार : दैनिक जागरण 7.6.2012)

रोड परमिट की व्यवस्था होगी खत्म

कारोबार करना हुआ आसान

राज्य के व्यापरियों को कारोबार करना अब और भी आसान हो जाएगा। राज्य सरकार रोड परमिट की व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। अब सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। यानी अब व्यापारियों को रोड परमिट के लिए वाणिजय कर कार्यालय का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने एक साफ्टवेयर बनवाया है, जिसका नाम होगा 'सुविधा'। इस साफ्टवेयर के चालू होते ही काफी हद तक टैक्स की चोरी खत्म जाएगी। कर्नाटक में सुगम के नाम से साफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले महीने से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इस साफ्टवेयर का प्रयोग शुरू होते ही व्यापारियों को फार्म डी-7, डी-8, डी-9 एवं डी-10 नहीं मिलेगा।

राज्य के व्यापारियों को राज्य के बाहर से या राज्य के अंदर से सामन खरीदने के लिए रोड परमिट की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। व्यापारी जहां से सामान खरीदेंगे। वहीं पर वाणिज्य कर विभाग का विभागीय साइट खोलकर खरीदे गए सामान की पूरी जानकारी इंट्री की जाएगी। इंट्री होने के बाद कम्प्यूटर के माध्यम से पावती रसीद मिलेगी जिसमें एक कोड नम्बर रहेगा। उस कोड को किसी भी चेकपोस्ट पर दिखाने के बाद ही गाड़ी पास होगी।

अन्यथा उनपर पेनाल्टी होगी। अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो उसकी इंट्री ट्रांसपोर्टर करेंगे। ट्रांसपोर्टर सामान की पूरी जानकारी के साथ-साथ ट्रक का नम्बर एवं ट्रक ड्राइवर का नाम भी अंकित करेंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान 2.06.2012)

दिसंबर तक पूरा हो जायेगा जोगबनी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट

जोगबनी स्थित निर्माणाधीन एकीकृत चेक पोस्ट दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सीमा से गायब और क्षतिग्रस्त पिलरों की मरम्मत के लिए जल्द ही बिहार के गृह सचिव से बात की जाएगी। इंडो-नेपाल नो मेंस लैंड अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा।

ये बातें जोगबनी पहुंचे भारत सरकार के गृह सचिव आर के सिंह ने कहीं। वे यहां निर्माणधीन एकीकृत चेक पोस्ट की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी गति के लिए जलजमाव को मुख्य वजह बताया। यद्यपि, उन्होंने दिसंबर 2012 तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर स्थित पिलरों की संख्या मांगी गई है। सूची मिलने के बाद दोनों देश इस दिशा में कार्य करेंगे। एकीकृत चेक पोस्ट निर्माण की दिशा में नेपाल की तरह से कार्य शुरू न होने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए नेपाल सरकार से बीतचीत की जाएगी ताकि उस दिशा में भी अतिशीघ्र कार्यों को पूरा किया जा सके।

(साभार : दैनिक जागरण 3.6.2012)

90 प्रतिशत व्यापारी कर रहे इ-रिटर्न व इ-पेमेंट

उपमुख्यमंत्री व वाणिज्य-कर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के 90 प्रतिशत व्यापारी अब इ-रिटर्न व इ-पेमेंट कर रहे हैं। इस वर्ष अगली तिमाही से इ-रिर्टन एवं इ-पेमेंट अब डीलरों को लिए भी अनिवार्य कर दिया जायेगा। किसी भी अंचल से अब मैनुअली हार्ड कॉपी नहीं ली जायेगी।

श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पटना प्रमंडल समेत आठ अंचलों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लघु कर दाता योजना का दायरा जिला मुख्यालय के अलावा अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय स्थित छोटे बाजारों तक ले जाया जाना चाहिए। इस योजना के तहत व्यावसायियों को एक मुश्त या दो किस्तों में 10 हजार रुपये का कर भुगतान करना होता है, ऐसे व्यावसायियों के न तो खातों की जांच होती है और न ही उन्हें इ-रिटर्न फाइल करना होता है। उन्होंने रिफंड एवं रिइम्बर्समेंट में हो रहे अनावश्यक देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके निष्पादन के लिए समय-सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इ-रिटर्न, इ-प्रेमेंट, इ-रजिस्ट्रेशन, इ-फार्म, इ-नोटिस, इ-ऑडिट समेत सभी सेवाओं को इस वर्ष के अंत तक अनिवार्य रूप से कंप्यूराइज्ड कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी ताकीद किया कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शोभा की वस्तु न बन कर रह जाये। इस सेवा का ज्यादा उपयोग करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा-पत्र देने की भी बात उन्होंने कही। बैठक में विभाग के अपर आयुक्त प्रह्लाद बैठा समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

(साभार : प्रभात खबर, 19.6.2012)

वाणिज्य-कर में 26.51 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में 8458 करोड़ रुपये का संग्रह किया। वित्तीय वर्ष 2010-11 के तुलना में 26.51 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले पांच सालों के दौरान गत वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि दर हासिल की गयी है।

राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2011-12 में 8530 करोड़ रुपये का कर संग्रह करने का लक्ष्य था, लक्ष्य का 19.5 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल की गयी है।

पिछले पांच वित्तीय वर्ष से 23-24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की जा रही थी। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में 10500 करोड़ रुपये का वाणिज्यकर संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्यकर ने इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। लक्ष्य संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए पहली जुलाई से वाणिज्यकर के अधिकांश कार्य ऑन-लाईन शुरू हो जायेंगे।

विभाग के 49 अंचलों में से 21 अंचलों ने अपना निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा था। जबकि 5 अंचलों में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में संतोषजनक नहीं है। इसमें मुंगेर, खगड़िया, झंझारपुर, दरभंगा, भभुआ, बक्सर एवं बेतिया अंचल है।

(साभार : आज 10.06.2012)

नियमित टैक्स देने वाले व्यापारी होंगे सम्मानित

वाणिज्य कर विभाग ऐसे व्यापारियों को भामासाह सम्मान व वाणिज्य कर रत्न से सम्मानित करेगा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से विभाग को नियमित टैक्स दिया है। पहले सम्मान के तौर पर व्यापारियों को प्रमाण-पत्र दिया जाता था परंतु अब व्यापारियों को पुरस्कार के तौर पर कुछ राशि भी दी जाएगी। इनमें सबसे बड़े करदाता को पांच लाख एवं तीसरे एवं चौथे नम्बर के करदाता को क्रमश: 50 एवं 25 हजार रुपये दिए जायेंगे। वाणिज्य कर विभाग ने इसपर कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले दो-तीन महीने में व्यापारियों की सूची भी तैयार कर ली जाएगी।

सम्मानित व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाएं

वाणिज्य कर विभाग उन तमाम व्यापारियों के यहां अगले एक साल तक निरीक्षण नहीं करेगा जो राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। अगर किसी कारण से निरीक्षण करने का मामला बनता है तो इसके लिए विभाग के अधिकारियों को पूर्व में ही वाणिज्य कर आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सम्मानित व्यापारियों द्वारा दाखिल किसी भी आवेदन पत्र पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। यदि आवेदन न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित हो तो भी 30 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी व्यापारियों को बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम के अधीन विभागीय अंकेक्षण से भी एक वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य या प्रमंडलीय वैट सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान 8.6.2012)

सम्मानित किये गये महापौर

बिहार प्रदेश जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ की ओर से 19.06.2012 को जालान भवन में महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिति की सदस्य कांति देवी को सम्मानित किया गया। मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। उद्घाटन बिहार चैबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम प्रकाश साह ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता

गोविंद कानोडिया ने की। संयोजक ईश्वर अग्रवाल थे। मौके पर महापौर ने कहा कि जन समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मंच का संचालन प्रभात जायसवाल ने किया। शिविर ने उपमहापौर रूपनारायण मेहता सहित 72 लोगों ने रक्तदान किया । मौके पर अमर अग्रवाल, अक्षय कुमार, पीके अग्रवाल, पार्षद तरुणा देवी, पूर्व पार्षद मनोज कुमार, अंजनी पटेल, डॉ. विकास गुप्ता, अरुण गुप्ता, शिव प्रसाद मोदी, सतनाम सिंह, सतीश खेमानी आदि उपस्थित थे।

(साभार : प्रभात खबर, 18.06.2012)

विकास की कसौटी पर खरा है शहर 'बदलता पटना' -अफजल इमाम, मेयर

मैंने पटना को काफी करीब से देखा, जाना और समझा है। इस शहर को बदलते हुए अपने आखों से देखने का एक अलग ही सुकून है। पटना ही नहीं, पूरे बिहार में नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पटना में जिस किसी से बात करें, वो इस बात की पुष्टि करेगा कि शहर बहुत बदला गया है और बदल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंबे समय के बाद शहर में परिवर्तन की कुछ सकारात्मक नींव पड़ते हुए लोग देख रहे हैं।

शहर के लोग एक सपना बुनने लगे हैं। लोगों को इस परिवर्तन से उम्मीद की किरण दिखने लगी है। पिछले कुछ सालों में बिहार से करोड़ों लोग रोजी-रोटी की तलाश और पढ़ाई-लिखाई के लिए बाहर निकले। बिहारी अपनी कार्यकुशलता व बुद्धिमता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। अब बिहार के बाहर रहने वाले लोग घर लौट रहे हैं। पहले बिहार के बाहर राज्य की छवि खराब थी, लेकिन आज बड़े-बड़े उद्योगपति इस शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी समस्या बिजली को लेकर है। बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए पूरी कोशिश हो रही है, इसके लिए सरकार के साथ हमलोग कदम मिला कर चलने के लिए तैयार है। बिहार के बाहर अब इस शहर की अलग पहचान स्थापित हो गयी है। पटना के इर्द-गिर्द भी एक नया पटना बनाने कर तैयारी हो रही है। यहां पर भी अब लोगों की लाइफ भागदौड़ की हो गयी है।

शहर भी जद्दोजहद कर रहा है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। पहले यह बात शहर में नहीं थी। इस राज्य, शहर के लोग अपमान और तिरस्कार नहीं सहते हैं, बाहर के लोग आश्चर्यचकित हैं बिहार के परिवर्तन से। जगह-जगह पार्कों के निर्माण से शहर का सौंदर्य बढ़ा है।

पहले पटना से गया जाने वाली ट्रेन पर सवारी करने वाले अधिकतर लोग बिना टिकट यात्रा करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। लोगों के सोच में परिवर्तन आने से लोग रेल यात्रा करने से पहले ही टिकट कटा लेते हैं। कई जानकार विश्लेषक कह रहे हैं कि बिहर बदल रहा है। इस बदलते बिहार में सरकार के साथ-साथ मेरा भी पूरा प्रयास होगा कि पटना बदले। जल्दी मेट्रो सिटी बन सके। आने वाले समय में शहर को और भी स्वच्छ और सुंदर बनाना है। पेयजल की समस्या से शहर को निजात दिलाने के लिए योजना बनी हुई है। पेयजल पर जल्द काम होने वाला है। पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या से शहर के लोगों को जल्द निजात मिलेगी। आने वाले समय में शहर का बदला स्वरूप देखने को मिलेगा। लोकतांत्रिक चेतना के विकास के इस दौर का तकाजा है कि सामाजिक न्याय के साथ हमारा शहर विकास की कसौटी पर खरा उतरे। देर-सबेरे यह परिवर्तन शहर को एक नयी ऊंचाई पर ले जायेगा। सामाजिक न्याय के साथ विकास की शुरूआत हो गयी है और यह जारी रहेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 18.6.2012)

पूफड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की मुख्य बातें

पूफड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006

• खाद्य मिलावट रोकथाम कानून 1954 को समाप्त कर के नया कानून फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 • नया कानून फूड सेफ्टी एंड स्टैन्डर्ड एक्ट 2006 के नाम से जाना जायेगा • यह कानून 5 अगस्त 2011 से लागू हो गया है। इस कानून में नियम व रेग्युलेशन भी है • इस कानून को लागू करने में केन्द्रीय प्राधिकरण व राज्य का विभाग रहेगा • अब खाद्य व्यापार से संबंधित सभी विषयों पर से स्थानीय प्रशासन का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा • यह कानून खाद्य से संबंधित अन्य अनेक वर्ग जैसे ट्रांसपोर्टर, मकान मालिक, स्कूल, मंदिर, कैटरर्स, उत्पादक, विक्रेता आदि पर भी लागू होगा।

रजिस्ट्रेशन

• खाद्य पदार्थ व्यापार से जुड़े सभी छोटे खाद्य व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा • खाद्य व्यापारी वह जिसका सालाना टर्नओवर 12 लाख तक है, वह भी छोटे खाद्य निर्माता कहलायेंगे • कोई भी व्यक्ति बगैर रजिस्ट्रेशन या लाईसेंस के खाद्य पदार्थ से जुड़ा व्यापार नहीं कर सकता।

उत्पादन के लाइसेंस की शर्तें

• खाद्य पदार्थ निर्माण वाली जगह पर कम से कम एक टैक्नीशियन शिक्षित व्यक्ति होना जरूरी है • ऐसे तकनिशियन व्यक्ति के पास कैमिस्ट्री / बायो कैमिस्ट्रीक / फूड एण्ड न्युट्रीशन / मायक्रो बॉयलोजी विषय के साथ साईन्स की डिग्री होना या फूड टेक्नोलॉजी / डेयरी टेक्नालाजी / डेयरी मायक्रोबायलाजी / डेयरी कैमिस्ट्री / डेयरी इंजिनियरींग आईल / टेक्नालॉजी / वैटरनरी / साईन्स / होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरींग या डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या बराबर की संस्था से कुछ व्यापार संबंधित होना चाहिए • हर साल 31 मई से पहले 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष का रिटर्न फाईल करना • लाइसेंस में जो खाद्य पदार्थ लिखे हैं उनके अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनाना।

अन्य शर्तें

• होटल, रेस्टारेन्ट व अन्य खाद्य पदार्थों के ठेले पर नोटिस बोर्ड पर दर्शाना होगा की कौन सा आइटम कौन से घी, खाद्य तेल, वनस्पति आदि से निर्मित है • खाद्य पदार्थ व्यवसाय करने वाले को नोटिस बोर्ड द्वारा बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की सामग्री बिक्री हेतु रखी गई है • खाद्य तेल सिर्फ बंद पैक में ही बिकेगा।

उत्पादन के लाईसेंस लेने की प्रक्रिया

• शेड्यूल 2 के फार्म "ब" भर कर अन्य दस्तावेज शुल्क के साथ जमा होगा • नाम, फोटो, सरकारी अधिकारी द्वारा दिया फोटो आई डी व एड्रेस प्रूफ देना होगा • खाद्य उत्पादन जगह का ले - आऊट व हर कार्य का वर्ग मीटर में नाप देना होगा • मशीन आदि का नंबर, हार्स पावर व क्षमता लिखनी होगी • इस्तेमाल में लाने वाले पानी की टेस्ट रिपोर्ट • फूड सैफ्टी मैनेजमेन्ट सिस्टम प्लान व सर्टिफिकेट • नगर निगम का एन ओ सी।

सालाना शुल्क भरना

रजिस्ट्रेशन के लिए : 100 रु० • केन्द्रीय प्राधिकरण लाईसेंस : 7500 रु०

राज्य प्राधिकरण लाईसेंस

(क) बड़े के लिए : 5000 रु० (ख) छोटे के लिए : 3000 रु०

बाकी खाद्य व्यवसाइयों के लिए : 2000 रु०

अनेक जगह के लिए एक लाइसेंस या अनेक लाइसेंस।

(पफूड सैफ्टी पर कन्पफेडरेशन ऑपफ इंडिया, नई दिल्ली की पुस्तिका से साभार)

आंतरिक ऑडिट करेगा आयकर विभाग

राजस्व संग्रह बढ़ाने में जुटा आयकर विभाग ने अब आंतरिक ऑडिट कराने का फैसला किया है। इसके तहत विभाग की विभिन्न कर संग्रह इकाइयों के फाइलों और खातों की जांच की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 4,500 करोड़ रुपये टैक्स की वसूली नहीं किए जाने को लेकर आयकर विभाग की खिंचाई की है। इसे देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है। विभाग का मानना है कि ऑडिट से जहां आंतरिक खामियों का पता चल पाएगा, वहीं यह जानकारी भी मिल सकेगी कि किस कारण से किसी मामले में टैक्स वसूली नहीं हो पाई। इससे राजस्व संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी। विभाग इसके लिए निर्माण, फार्मा, बैंकिंग और हीरा उद्योग द्वारा कराए जा रहे आंतरिक ऑडिट की मदद लेगा। इन उद्योगों में इसके लिए अपनाए जा रहे कायदों और कार्य प्रणाली का विभाग अध्ययन करेगा। यह सालाना आधार पर या

फिर साल में दो बार किया जा सकता है। हाल ही में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों की सालाना बैठक में इस बारे में चर्चा हुई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट पिछले साल दिसंबर में संसद को सौंपी हैं। इसमें कहा गया है कि कई मामलों में पाया गया कि आकलन अधिकारी (एओ) ने कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) से ठीक से संवाद नहीं किया। (साभार : दैनिक जागरण 19.06.2012)

Charges on Penalty will now attract service Tax

From July 1, Service tax will be levied on the demurrage amount ordered by a court.

Demurrage charges are usually related to transportation or shipment business and refer to penalty paid for exceeding the free time allowed for loading, unloading, shipment or delivery.

"In some specific cases or dispute settlements in which the court orders for the payment of cost against loss or as demurrage charge will attract sevice tax on it, "S. K. Goel, Chairman, Central Board of Excise and Customs (CBEC), told HT.

But no tax will be levied on compensation paid, claims or alimony out of a divorce suit, he said.

"Usually compensation or cost that the court awards is not taxable, but henceforth any such cost ordered by the court after a dispute settlement that would be paid in the form of a demurrage charge – whether it's in transportation or a contractor's failure of complete a building causing loss to the client would attract 12% service tax, said JK Mittal, Supreme Court lawyer and tax consultant.

(Source : H.T., 11.06.2012)

दिल्ली–महाराष्ट्र से रूठी पूंजी बिहार में बरसी

दूसरे राज्यों में मंजूर ऋण बिहार में		बिहार में मंजूर ऋण अन्य राज्यों में		बढ़ती रही बिहार की विकास दर (%) में	
वर्ष	राशि (करोड़ में)	वर्ष	राशि (करोड़ में)	वर्ष	राशि (करोड़ में)
2011	2,692	2011	168	2011-12	13.13
2010	1,159	2010	431	2010-11	14.77
2009	943	2009	1107	2009-10	10.42

विकास की राह

• अन्य राज्यों में मंजूर हुए ऋण का यूपी-बिहार में हो रहा इस्तेमाल • बीते तीन साल में बिहार में आए 4,794 करोड़ रुपये • बिहार से जाने वाली ऋण-राशि में आ रही कमी। (विस्तृत समाचार: हिन्दुस्तान 3.6.2012)

करदाताओं को मिलेगी 15 फीसदी विशेष छूट

पटना नगर निगम के सिटी अंचल कार्यालय ने तीस जून तक करदाताओं को 15 फीसदी की विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि यह सुविधा पटना के सभी निगम अंचलों में दी जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए वरीय उपसमाहर्ता नीरज कुमार ने कहा कि वर्ष चालू वित्तीय वर्ष में एक मुश्त टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को यह सुविधा दी जा रही हे। इससे जहां करदाताओं को सुविधा मिलेगी। वहीं वित्तीय वर्ष के लक्ष्य भी हासिल हो सकेंगे। इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य राशि छह करोड़ रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में सवा करोड़ अधिक है। सिटी अंचल ने लक्ष्य राशि का 86 फीसदी उगाही करते हुए चार करोड़ 94 लाख रुपए की वसूली की है। लक्ष्य पांच करोड़ 77 लाख रुपए था। इस बार क्षेत्र में नए सर्वे के मुताबिक आवासीय व व्यवसायिक आउटलेट के लगभग 18 सौ भवनों को चिन्हित कर नया कर निर्धारण किया गया। जिससे 46 लाख 37 हजार रुपए की आय की वृद्धि होगी।

सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में एक मुश्त जमा करने वाले करदाताओं को दी जा रही 15 फीसदी छूट से निगम को लाभ मिल रहा है। निगमायुक्त पी० के० पॉल के साथ अधिकारियों की प्रत्येक दिन समीक्षा बैठक हो रही है।

(साभार : हिन्दुस्तान 16.06.2012)

बरौनी बिजलीघर में पूंजी लगाएगा जापान

बरौनी बिजलीघर की विस्तार योजना में जापान पूंजी लगाएगा। जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) ने इस आशय का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। बरौनी में मौजूदा बिजलीघर के अलावा 250-250 मेगावाट की दो नई इकाइयों का निर्माण होना है। इसी नई यूनिट के लिए जापान ने दिलचस्पी दिखाई है। उसने इस परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपए मदद की पेशकश की है। पिछले दिनों जापान का यह प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। केन्द्र सरकार ने जापान से सहयोग लेने पर अपनी सहमति दे दी है। अब प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद केन्द्र के अंतिम मुहर का इंतजार है।

बरौनी बिजलीघर की मौजूदा कार्यरत यूनिट छह व सात के जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण की योजना है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। पर, यूनिट चार और पांच को चलाना अब मुमकिन नहीं है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उनके जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण की जगह नई यूनिट स्थापित करना ही बेहतर माना है। इसी योजना पर काम भी किया गया और उन दो जर्जर यूनिट की जगह 250-250 मेगावाट क्षमता की दो यूनिट स्थापित करने की योजना को हरी झंडी दी गई। बरौनी में 250 मेगावाट क्षमता की एक तीसरी यूनिट की स्थापना का भी प्रस्ताव है। एक यूनिट के लिए विश्वबैंक की सहायता से विस्तृत कार्य योजना बनाई गई।

इस संबंध में एनटीपीसी के सहयोग से 1966 करोड़ रुपए की योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाकर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय को सौंपा गया है। जापान इंटरनेशलन कारपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा फिलहाल 1500 करोड़ रुपए की सहायता का प्रस्ताव है। (साभार : हिन्दुस्तान 15.06.2012)

अब बैंक में जमा होंगे टेलीफोन बिल

बीएसएनएल पोस्टपेड मोबाइल एवं लैंडलाइन उपभोक्ता के लिए खुशखबरी। बीएसएनएल पोस्टेड मोबाइलधारकों को प्रतिमाह बिल जमा करना पड़ता है, लेकिन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बीएसएनएल अब ईजी रिचार्ज सिस्टम लाएगा। साथ ही, अब लैंडलाइन उपभोक्ता टेलीफोन बिल बैंक में जमा कर सकेंगे। इसके लिए बीएसएनएल ने पंजाब नैशनल बैंक के साथ करार किया है। संभवत: जुलाई से उपभोक्ता अपना टेलीफोन बिल बैंक में जमा करने लगेंगे। इसके अलावा पोस्टपेड मोबाइलधारकों के लिए रिचार्ज वाउचर की व्यवस्था होगी, ताकि वे मोबाइल रिचार्ज कर सकें। जीएम मोबाइल, बीएसएनएल महेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पोस्टपेड मोबाइल के लिए ईजी रिचार्ज सितंबर तक आएगा। (साभार : हिन्दुस्तान 4.6.2012)

छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकार

बीते साल आर्थिक विकास के मामले में पहले पायदान रहने वाला बिहार अब विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने बिहार में छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।

राज्य के वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने बताया, 'हमने बीते वित्त वर्ष में देश में सबसे तेज रफ्तार से तरक्की की है। अब हम अपनी कोशिशों को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम राज्य में विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं।'

गौरतलब हैं कि केन्द्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार ने बीते वित्त वर्ष में 13.1 फीसदी की रफ्तार से आर्थिक विकास का है, जो देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा, 'इस वक्त राज्य के विकास की अहम स्रोत सार्वजनिक धन है। हालांकि, हम लंबे वक्त तक विकास के लिए सरकारी खजाने पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें विकास के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना होगा, जो आगे चलकर तेज विकास में हमारी मदद करेगा। हमें अपने विनिर्माण के आधार को बढ़ाना होगा। यही हमारे लिए विकास की कुंजी बनेगा।' इस तरफ निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार में एसएमई क्षेत्र के विकास पर जोर देने की योजना बनाई है।

राज्य सरकार के उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया, 'दरअसल, आर्थिक तरक्की की तेज रफ्तार बीते कुछ सालों से बिहार के विकास के लिए की गई राज्य सरकार की कोशिशों को दिखलाता है। एसएमई तेजी से बिहार में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, यह अच्छी बात है। इनके पैर जमाने के बाद ही राज्य में बड़े पूंजी निवेश की शुरुआत होगी।'

एक अधिकारी ने बताया, 'इस वक्त राज्य में करीब दो लाख छोटी और मझोली इकाइयां है। हालांकि, इसमें से एक लाख ही कार्यरत हैं। अगर हम बाकी की इकाईयों को जल्दी से जल्दी चालू कर पाए, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हम इस काम पर काफी ध्यान दे रहे हैं। (साभार : बिजेनस स्टैंडर्ड, 4.6.2012)

लगेंगे नई तकनीक वाले 'एनर्जी मीटर'

बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ अब नई तकनीक पर आधारित एनर्जी मीटर लगाए जाएंगे। इस मीटर के लगाए जाने से बिजली चोरी पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। साथ ही समय पर बिजली बिल नहीं मिलने की शिकायतें भी दूर होंगी। देश के विभिन्न राज्यों में इस नई तकनीक आरएफ व आईआर पद्धति पर मीटर लगाए जा चुके हैं। बिजली बोर्ड प्रबंधन अपने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए इस तरह के मीटर लगाए जाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

बिजली बोर्ड मुख्यालय विद्युत भवन में इस बाबत एक कार्यशाला हुई। इसमें बोर्ड के अध्यक्ष पीके राय व अन्य वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी फ्लाइमर की ओर से आरएफ व आईआर तकनीक पर आधारित मीटर के बारें में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मीटर की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे उपभोक्ताओं को समय पर बिजली बिल मिल सकेगा।

उपभोक्ताओं के घर इस तरह के मीटर लगाने के बाद मीटर रीडर को घर-घर मीटर रीडिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पद्धति में मीटर रीडिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के जरिए होती है। इससे मानवीय भूल होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। साथ ही एक ही घर में वे एक साथ बीस से पचास घरों के मीटर की रीडिंग ले सकेंगे। इससे एक मीटर रीडर एक दिन में पांच से दस हजार मीटर रीडिंग कर सकेगा। इस मीटर के माध्यम से किसी भी घर का लोड, खपत, पीक लोड आदि का भी पता चल जाएगा। इस आधार पर बिजली बोर्ड व पेसू अपनी भावी योजना बना सकता है। कम समय में अधिक रीडिंग होने से उपभोक्ताओं के घरों पर समय पर बिल भी पहुंचाया जा सकेगा।

बोर्ड के प्रवक्ता हरेराम पांडेय के मुताबिक तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, गुजरात व आंध्रप्रदेश में इस पद्धति पर ही मीटर लगाए गए हैं। (साभार : हिन्दुस्तान 15.06.2012)

बीड़ी व कामगार मजदूरों का होगा मुफ्त इलाज

सरकार अब बीड़ी एवं कामगार मजदूरों का भी नि:शुल्क इलाज करेगी। यह सुविधा उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना के तहत उनका सालाना 30 हजार रुपये तक का मुफ्त इलाज होगा। इस योजना में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों का सहयोग होगा। इस योजना के लिए श्रम संसाधन विभाग ने बीड़ी मजदूरों का लगभग 12 हजार एवं कारगारों का लगभग 5 हजार आंकड़ा श्रम विभाग प्राप्त कर चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक दोनों मजदूरों का योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक सरकार केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देती थी।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आरएसबीवाई योजना 20 अगस्त 2005 को भागलपुर से शुरू किया गया था। इस योजना की मुख्य बात यह है कि इसके लिए बीमित व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लगेगा और बदले में सरकार की ओर से 30 हजार का बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्यों (अधिकतम 5 सदस्य) की मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार ने मजूदरों को इस योजना का लाभ देने के लिए लगभग 900 अस्पतालों की सूची भी जारी कर दी है। यह अस्पताल हर जिले के लगभग सभी प्रखंड स्तर पर बनाए गए है। ऐसी स्थिति में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवारों को समुचित चिकित्सा एवं इलाज के लिए ज्यादा दूर तक इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। (साभार : हिन्दुस्तान 6.6.2012)

गरीबी रेखा से नीचे की आबादी

शहरी इलाकों में (लाख में)

महाराष्ट्र	146.25	छत्तीसगढ़	19.47	हिमाचल प्रदेश	0.22
उत्तर प्रदेश	117.03	केरल	17.17	त्रिपुरा	0.20
मध्य प्रदेश	74.03	झारखंड	13.20	मणिपुर	0.20
तमिलनाडु	69.13	हरियाणा	10.60	मिजोरम	0.16
कर्नाटक	63.83	उत्तराखंड	8.85	मेघालय	0.16
आंध्र प्रदेश	61.40	पंजाब	6.50	चंडीगढ़	0.15
राजस्थान	47.51	जम्मू-कश्मीर	2.19	दादर-नागर हवेली	0.14
पं. बंगाल	35.14	गोवा	1.64	नागालैंड	0.12
बिहार	32.42	लक्षद्वीप	1.59	अरुणाचल प्रदेश	0.09
गुजरात	27.19	असम	1.28	दमन-दीव	0.06
ओडिशा	26.74	अंडमान-निकोबार	0.67	सिक्किम	0.02
दिल्ली	22.30	पांडिचेरी	0.32		

संपूर्ण भारत : 807.96

(साभार : राष्ट्रीय सहारा 16.6.2012)

सकल घरेलू उत्पाद

वृद्धि दर प्रतिशत में 2004-05 के मूल्यों पर	चौथी तिमाही		2010-11 त्वरित अनुमान	2011-12 संशोधित अनुमान
	2010-11	2011-12		
जीडीपी (फैक्टर कॉस्ट)	9.2	5.3	8.4	6.5
कृषि, वन्य और मछली पालन	7.5	1.7	7.0	2.8
खनन और क्वारिंग	0.6	4.3	5.0	-0.9
मैन्युफैक्चरिंग	7.3	-0.3	7.6	2.5
विद्युत, गैस और जल सप्लाई	5.1	4.9	3.0	7.9
विनिर्माण	8.9	4.8	8.0	5.3
व्यापार, होटल, परिवहन और दूरसंचार	11.6	7.0	11.1	9.9
वित्तीय, बीमा, रीयल स्टेट और बिजनेस सेवाएं	10.0	10.0	10.4	9.6
सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	9.5	7.1	4.5	5.8

(साभार : सन्मार्ग 19.06.2012)

बार लाइसेंस के नवीकरण में उत्पाद विभाग की शर्तें

• अनुज्ञप्ति स्वीकृति के पूर्व से ही सीएसटी व बीएसटी का निबंधन अनिवार्य • होटल भवन में ही रेस्टोरेंट से अलग कम से कम 500 वर्गफीट की जमीन बार के लिये होना अनिवार्य • बार के ग्राहकों के लिए अलग से मुख्य भाग में ही शौचालय रखना होगा • परोसे जाने वाले भोजन की जांच के लिये खाद्य निरीक्षक से मिला एनओसी को अनिवार्य • सारे कागजात लाने के बाद सहायक आयुक्त उत्पाद पत्र जारी करेगा • फिर उनके आवेदन व चालान की कापी को डीएम के समक्ष भेजना होगा • डीएम की अनुशंसा के बाद बार का नवीकरण किया जायेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 24.04.2012)

बगैर डीएल पकड़े गये तो वाहन मालिक भी अभियुक्त

लापरवाह वाहन मालिकों की अब खैर नहीं। अगर अब उनके वाहनों के चालक यदि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े गय तो जुर्माने के साथ साथ वाहन मालिकों पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे चालकों द्वारा दुर्घटना होने पर वाहन मालिकों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्हें भी अभियुक्त बनाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक एसपी चन्द्रिका प्रसाद ने इस दिशा में सख्त रवैया अपनाया है। अब नियमित रूप से वाहन चेकिंग कर कम उग्र के वाहन चालकों को पकड़ा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की चेकिंग भी की जाएगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.05.2012)

PT. GPO/R-10/NP-15/2011-2012 R.N. 4211/62

वाणिज्य–कर विभाग

अब वाणिज्य–कारताओं द्वारा कर भुगतान हेतु
ऑन–लाईन ई–पेमेंट की सुविधा 40 से भी अधिक बैंको के द्वारा

सभी निबंधित व्यवसायियों को यह सूचित किया जाता है कि वाणिज्य-कर विभाग ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके अंतर्गत यदि आपका खाता किसी भी बैंक में है (40 से भी ज्यादा बैंकों में) तो आप कर का भुगतान ऑनलाईन कर सकते हैं।

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए क्रमवार प्रक्रिया निम्नवत् है :–

• **प्रथम चरण:** वाणिज्य-कर विभाग के वेबसाईट www.biharcommercialtax.gov.in पर जाकर अपने User ID एवं Password के साथ Login कीजिये • **द्वितीय चरण :** E-payment के icon पर click कीजिये? • **तृतीय चरण :** जिस अधिनियम के तहत भुगतान करना है, उसे select कीजिये। • **चतुर्थ चरण :** संबधित चालान को भरिये • **पाँचवा चरण :** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के पेमैंट गेटवे का चुनाव कीजिये • **छठवाँ चरण :** पेमेंट गेटवे का स्क्रीन आएगा। ड्रापडाउन मेनू में जाकर बैंको की सूची में से अपने पसंद का बैंक चुनिए • **सातवाँ चरण :** चुने हुए बैंक का लॉग-इन पेज स्क्रीन पर आ जाएगा • **आठवाँ चरण :** ऑन-लाईन भुगतान से संबंधित कार्रवाई चुने हुए बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करें • **नौवी चरण :** भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चालान को डाउनलोड/प्रिंट कर के पावती प्राप्त कर लें।

यह सुविधा वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आइ.डी.बी.आई., बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाताधारकों को इन बैंको के इन्टरनेट बैंकिंग के द्वारा दी जा रही सुविधा के अतिरिक्त है।

बैंको की सूची : • इलाहाबाद बैंक • आन्ध्रा बैंक • एक्सिस बैंक • बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत • बैंक ऑफ बडौदा (कॉरपोरेट और रिटेल) • बैंक ऑफ इण्डिया • बैंक ऑफ महाराष्ट्रा • बी एन पी परिवास • कैनरा बैंक • सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया • कॉरपोरेशन बैंक • सिटी यूनियन बैंक • डीसीवी बैंक • ड्यूसटच बैंक • धन लक्ष्मी बैंक • फेडरल बैंक • आई.सी.आई.सी.आई. बैंक • आईडीबीआई बैंक • इण्डियन ओवरसीज बैंक • इण्डियन बैंक • इंडसइंड बैंक • आई.एन.जी वैश्य बैंक • जम्मू एंड कश्मीर • कर्नाटका बैंक • करूड वैश्य बैंक • कोटक बैंक • लक्ष्मी विलास बैंक (कॉरपोरेट और रिटेल) • ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स • पंजाब एंड सिन्ध बैंक • समरावविठल बैंक (कोऑपरेटिव बैंक) • साउथ इण्डियन बैंक • सिंडिकेट बैंक • तमिलनाड मरकैंटाईल बैंक • यूको बैंक • यूनियन बैंक • युनाईटेड बैंक • विजया बैंक • यस बैंक।

किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए टॉल–फ्री नं. 1800 3456 102 पर संपर्क किया जा सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान 23.05.2012)

Reform on Manufacturing Policy

INITIATIVE

Improve the share of manufacturing to the GDP of the country.

CURRENT SITUATION

The share of manufacturing in the Indian GDP is at a low level.

PROBEBLE EFFECT

Increase in the share of manufacturing will:

• Create more industries • Increase the output • Generate employment.

All these will eventually increase the receipts of the government in the form of various taxes.

(Source : Interest Payments Overburden ASSOCHAME, April 2012)

गोपाल प्रसाद खेमका पंचतत्व में विलीन

सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति श्री गोपाल प्रसाद खेमका (77) ने दिनांक 22 जून, 2012 को मुम्बई में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। वे काफी दिनों से बीमार थे। 23 जून, 2012 को पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। स्व० खेमका जी, जिन्होंने राज्य में निर्माण सिमेंट सहित कई ईकाइयाँ स्थापित की, वे सत्र 1999–2000 में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके थे। इसके अतिरिक्त वे कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे। उन्होंने मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष, बिहार राज्य मारवाड़ी सम्मेलन के सचिव, दादी जी सेवा समिति के अध्यक्ष, बढ़हिया जगदम्बा मंदिर के पदाधिकारी के रूप में समाज के बेहतरी के लिए काफी काम किया।

उनके निधन से राज्य के उद्योग जगत में गहरा शोक व्याप्त हो गया है। उनके निधन पर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्व० खेमका जी काफी दृढ़ निश्चयी, कर्मठ और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। उनके निधन से उद्योग जगत में एक अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की चिर-स्थायी शांति, सद्गति प्रदान करने एवं शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। वैसे तो स्व० खेमका हमारे बीच नहीं रहे पर वे हमारे दिलों में सदैव बने रहेंगे।

एस पी के आदेश के बिना भी अब वाहन चेकिंग

सेंट्रल रेंज के डी आई जी का आदेश

अब राजधानी में वाहनों की चेकिंग बगैर एसपी के आदेश के भी हो सकती है। थानेदारों के लिए वाहन चेकिंग के लिए एस०पी० का आदेश लेना या उसकी प्रतीक्षा करना जरूरी नहीं।

अपराध नियंत्रण के लिए पटना पुलिस के आलाधिकारियों ने इस नए फंडे को निकाला है ताकि बिना दबाव के थानेदार काम कर सकें। सेंट्रल रेंज डी आई जी सुनील कुमार के आदेश के बाद से थानेदार अपनी मर्जी से वाहनों की चेकिंग कर सकते हैं। ऐसा आदेश जिले में पहली बार दिया गया है। (साभार : हिन्दुस्तान 8.5.2012)

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

आम सूचना

अन्य राज्यों से नेशनल परमिट प्राप्त मालवाहक वाहन स्वामियों के ध्यान में लाया जाना है कि नेशनल परमिट से आच्छादित मालवाहक वाहनों द्वारा राज्य के अंतर्गत ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई का कार्य किया जाना केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1989 की धारा-90 की उप धारा-7 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अत: अन्य राज्यों से नेशनल परमिट प्राप्त मालवाहक वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि अगर ऐसे ढुलाई कार्यों में उनकी संलिप्तता पायी गयी तो उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों की सेवा में वित्तीय वर्ष **2012-13** के सदस्यता शुल्क हेतु विपत्र चैम्बर कार्यालय से निर्गत किया जा चुका है। काफी सदस्यों ने अपना सदस्यता शुल्क भेज दिया है। जिन सदस्यों ने अभी तक सदस्यता शुल्क नहीं भेजा है उनसे विनम्र निवेदन है कि यथाशीघ्र सदस्यता शुल्क भेजकर अनुग्रहित

EDITORIAL BOARD
K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635, Fax No. : 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296